उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 200186

6. **हितग्राही** :–इस ट्रस्ट के हितग्राही वे समस्त व्यक्ति या समूह भी होंगे जिसे मुख्य न्यासी द्वारा घोषित किया जा रहा है। साथ ही साथ समाज के पिछडे गरीब, महिलायें, बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति भी इस न्यास के हितग्राही हो सकेंगे। समय–समय पर मुख्य न्यासी द्वारा इसकी घोषणा भी की जा सकेगी।

न्यास के उद्देश्य एवं नियमावली :–न्यासकर्ता/ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा रहा है।

ट्रस्ट के उद्देश्य :–ट्रस्ट नियम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा संकाय, शारीरिक शिक्षा संकाय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धा आश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्दों, पर्यावरण केन्दों की स्थापना करना प्रबन्धन संचालन आदि की आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, स्थानों, शासन आदि से मान्य सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।
2. ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड, सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुक्त शिक्षण संस्थान आदि संस्थानों के द्वारा मान्यता लेकर विद्यालय संचालित करना।
3. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
4. खादी ग्रामों उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

क्रमशः.....4